न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 197/2021/दावा 136 एलआरएक्ट

रामेश्वर लाल पुत्र माला जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोहनपुरा (दूधवा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

– वादी

ब ना म

राज्य सरकार जरिये: तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

– प्रतिवादी

दावा बाबत् उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती
अं. धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री महेन्द्र कुमावत वकील वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

नि र्ण य

दिनांक – 29.03.2022

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख.नं. 48 रकबा 1.8400 हैक्टेयर किता 1 कुल रकबा 1.8400 हैक्टेयर में वादी के पिता का हक, हिस्सा 5/64 व कृषि भूमियॉं ख.नं. 49 रकबा 0.2400 हैक्टेयर किता 1 कुल रकबा 0.2400 हैक्टेयर में वादी के पिता का हक, हिस्सा 5/64 वाके ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का दूधवा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का हिस्सा 5/64 कब्जे व काश्तशुदा है जो कि वादी के पिता माला पुत्र सुखदेवा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी के पिता के पिता अर्थात वादी के दादा का नाम दुला था जो पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2028–2031 में वादी के पिता का नाम माला पुत्र दुला दर्ज है तथा उपरोक्त भूमियों की जमाबंदी सम्वत् 2036–2039 व सम्वत् 2041–2044 में भी माला पुत्र दुला ही दर्ज है जबकि जमाबंदी सम्वत् 2051–2054 में संहवन से माला पुत्र सुखदेवा दर्ज हो रखा है जबकि वादी के पिता माला के नाम से अन्य कृषि भूमियों एवं अन्य रिकार्ड में माला पुत्र दुल्ला ही दर्ज है एवं अब वादी के पिता माला का स्वर्गवास हो चुका है। वादी के दादा का नाम अलग–अलग रूप से

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

दर्ज होने की वजह से वादी को विरासत का नामान्तकरण खुलवाने में दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से वादी को यह रिकार्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। इस संबंध में वादी कई बार–बार प्रतिवादी एवं अन्य सम्बधिति अधिकारियों व कर्मचारियों से निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक यह दुरूस्ती होकर संशोधन नहीं हुआ है। सम्बंधित समस्त दस्तावेज संलग्न प्रार्थना–पत्र है एवं मुताबिक अन्य रिकार्ड वादी के पिता के राजस्व रिकार्ड में माला पुत्र सुखदेवा को दुरूस्त कर सही रूप से जाति ''माला पुत्र दुला'' दर्ज किया जाना न्याय संगत है। वाद कारण अरसा करीब 8–10 रोज पूर्व प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा वादी के दादा का नाम सुखदेवा को दुरूस्त कर दुला संशोधित करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 1.84 है0, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का दूधवा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी के पिता का नाम माला पुत्र सुखदेवा के स्थान पर वादी की पिता का सही व वास्तिविक नाम माला पुत्र दुला दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना के प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गयी। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी के पिता का नाम माला पुत्र सुखदेवा के स्थान पर वादी की पिता का सही व वास्तिविक नाम माला पुत्र दुला दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यो का अवलोकन किया। तहसीलदार दातारामगढ ने रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रार्थी के पिता का नाम जमाबन्दी सम्वत 2028 से 2031 में माला पुत्र दुला दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2039 व 2041 से 2044 में भी माला पुत्र दुला दर्ज है जबकि जमाबन्दी सम्वत 5051 से 2054 में माला पुत्र सुखदेवा दर्ज हो कर आज दिवस तक चला आ रहा है। रामेश्वर के पिता का सही व वास्तविक नाम माला पुत्र दुला है। माला पुत्र दुला किया जाना उचित है। रिकार्ड संशोधन की अभिशंषा की जाती है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 1.84 है0, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का दूधवा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी के पिता का नाम माला पुत्र सुखदेवा के स्थान पर वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम माला पुत्र दुला दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर
इजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

रामेश्वरलाल बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 197 / दावा सन् 2021 निर्णय दिनांक 29.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजेश कुमार मीणा आर.ए.एस बहाजरी श्री महेन्द्र कुमावत मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा कृषि भूमि 48 रकबा 1.84 है0, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का दूधवा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी के पिता का माला पुत्र सुखदेवा के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर माला पुत्र दुला संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.03.2022 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मोहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा ...	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत ...	--	--	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील ...	--	--	खर्चा गवाहान ...		
खर्चा गवाहान ...	--	--	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर ...	--	--	बाबत इजराय हुक्मनामा ...		
बाबत इजराय हुक्मनामा ...	--	--	मुतफर्रिक ...	0	00
मुतफर्रिक ...	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ